

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना**

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 194/2023

दायर दिनांक 12.09.2023

**वादी**

1. शहादत अली पुत्र स्व०  
अब्दुल गफार जाति  
देशवाली निवासी बालिया,  
तहसील डीडवाना जिला  
डीडवाना-कुचामन राज०।

**प्रतिवादीगण**

1. मुंशी पुत्र रहिमबक्ष
2. अ० सतार पुत्र स्व० इब्राहिम
3. अब्दुल मुतलिफ पुत्र स्व० इब्राहिम
4. अब्दुल कयुम गहलोत पुत्र स्व० इब्राहिम
5. अरशद अली पुत्र स्व० अब्दुल गफार
6. सरफराज अली पुत्र स्व० अब्दुल गफार
7. शिब्यो बानो पत्नी स्व० अब्दुल गफार
8. इन्शाल्लाह पुत्री स्व० अब्दुल गफार
9. नसरीन बानो पुत्री स्व० इब्राहिम
10. जुबेदा पुत्री स्व० इब्राहिम
11. तसलीम बानो पुत्री स्व० इब्राहिम
12. अमरीन बानो पुत्री स्व० इब्राहिम समस्त  
जाति देशवाली निवासीगण बालिया  
तहसील डीडवाना जिला  
डीडवाना-कुचामन राज०।
13. तहसीलदार डीडवाना।

**बनाम्**

**दावा बाबत्**

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा- 53, 188 R.T.Act.

**उपस्थित:-**

1. श्री सुनिल कुमार शर्मा वकील वादी।

-:: निर्णय ::-

दिनांक 25.03.2026

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि वाकै सरहद बालिया के खेत खसरा सं० 18 रकबा 2.4841 हैक्टे०, खसरा सं० 451 रकबा 0.3800 हैक्टे०, खसरा सं० 527 रकबा 1.4500 हैक्टे०, खसरा सं० 585 रकबा 0.4900 हैक्टे०, खसरा सं० 615 रकबा 2.3200 हैक्टे०, खसरा सं० 7 रकबा 3.1848 हैक्टे०, खसरा सं० 714 रकबा 1.4200 हैक्टे०, खसरा सं० 83 रकबा 0.1200 हैक्टे०, खसरा सं० 977/7 रकबा 0.0485 हैक्टे०, खसरा सं० 985/18 रकबा 1.0417 हैक्टे० कुल रकबा 12.9391 हैक्टे० भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 10.01.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: प.1(16)रीडर/2025/57 दिनांक 11.02.2026 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने में सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार

*Wkas*  
उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना

डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: प.1(16)रीडर/2025/57 दिनांक 11.02.2026 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

-:: आदेश ::-

वाकै सरहद बालिया के खेत खसरा सं० 18 रकबा 2.4841 हैक्टे०, खसरा सं० 451 रकबा 0.3800 हैक्टे०, खसरा सं० 527 रकबा 1.4500 हैक्टे०, खसरा सं० 585 रकबा 0.4900 हैक्टे०, खसरा सं० 615 रकबा 2.3200 हैक्टे०, खसरा सं० 7 रकबा 3.1848 हैक्टे०, खसरा सं० 714 रकबा 1.4200 हैक्टे०, खसरा सं० 83 रकबा 0.1200 हैक्टे०, खसरा सं० 977/7 रकबा 0.0485 हैक्टे०, खसरा सं० 985/18 रकबा 1.0417 हैक्टे० कुल रकबा 12.9391 हैक्टे० भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: प.1(16)रीडर/2025/57 दिनांक 11.02.2026 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: प.1(16)रीडर/2025/57 दिनांक 11.02.2026 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

*wkas*  
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।

*wkas*  
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना